रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032024-252921
CG-DL-E-13032024-252921

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 164] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945
No. 164] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2024

सा.का.नि. 176**(अ).**—केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 (जिसे इसमें इसके पश्चात, उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 9 के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"9क. अनुसूची I के भाग ख के अधीन शामिल करने के लिए आवेदन- (1) अनुसूची I के भाग क के अधीन विनिर्दिष्ट कंपनियों से भिन्न कोई भी कंपनी, जो प्रसंस्करण का कारोबार करती है और निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती

है, उक्त अनुसूची के भाग ख में अपना नाम शामिल करने के लिए प्ररूप 1-ख में केंद्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगी अर्थात् -

(i) भारत में अपने स्वयं के ब्रांड नाम के साथ एक ही कंपनी के नाम के अधीन स्नेहक तेल अथवा ग्रीज अथवा दोनों के विनिर्माण और बिक्री के क्षेत्र में न्यूनतम दस वर्ष का निरंतर अनुभव;

(ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में प्रति वर्ष 50,000 किलो लीटर की औसत बिक्री मात्रा, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्नेहक तेल अथवा ग्रीज, अथवा दोनों के ऑटोमोटिव और औद्योगिक क्षेत्र में से प्रत्येक में न्यूनतम औसत बिक्री मात्रा 10,000 किलो लीटर प्रति वर्ष के साथ;

(iii) स्नेहक तेलों और ग्रीज के परीक्षण/प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला होना; और

(iv) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में मूल उपकरण विनिर्माताओं को प्रति वर्ष औसत बिक्री मात्रा 2000 किलो लीटर के साथ भारत में न्यूनतम दो मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम्स) के लिए एक अनुमोदित विक्रेता।

(2) उप-खंड (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात, जो वह आवश्यक समझती है, ऐसी कंपनी का नाम अनुसूची I के भाग ख के अधीन शामिल कराएगी अथवा उसे अस्वीकार कर सकेगी।"

3. उक्त आदेश में, अनुसूची I में,

(i) शीर्षक "तेल कंपनियों का नाम" और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"तेल कंपनियों का नाम

भाग क

क्र.सं.	**तेल कंपनी का नाम और पता**
(1)	(2)
1.	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, जी-9, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), बॉम्बे-400051
2.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत भवन, 4 और 6, करीमभोय रोड, बैलार्ड एस्टेट, बॉम्बे-400038
3.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 17-जमशेदजी टाटा रोड, चर्चगेट, बॉम्बे-400020
4.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, 21, नेताजी सुभाष मार्ग, कलकत्ता-700001
5.	कैस्ट्रोल इंडिया लिमिटेड, टेक्नोपोलिस नॉलेज पार्क, महाकाली केव्स रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400093
6.	टाइड वॉटर ऑयल कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, 32, आर कमानी मार्ग, बैलार्ड एस्टेट, बॉम्बे-400038
7.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 536, अन्ना सलाई, तेयनमपेट, चेन्नई-600018

भाग ख

क्र.सं.	**तेल कंपनी का नाम और पता**
(1)	(2)
1.	-
2.	-

टिप्पण-

भाग क उन तेल कंपनियों का नाम विनिर्दिष्ट करता है जो खंड 2 (ग) के अधीन 'प्रसंस्कर्ता' की परिभाषा में शामिल नहीं हैं। जबकि, भाग ख प्ररूप संख्या 1-ख के अधीन आवेदन करने वाली और आदेश के खंड 9क के अधीन अनुसूची I में डाली गई तेल कंपनियों का नाम विनिर्दिष्ट करता है।";

(ii) प्ररूप 1-क के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप संख्या 1-ख

[स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1987 का खंड 9क देखें]

अनुसूची I के भाग ख के अधीन शामिल करने के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पूरा पता:

2. निदेशकों का नाम और पता:

3. निगमन की तारीख और वर्ष:

टिप्पण: कृपया कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र और कारोबार आरंभ करने के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

4. इकाई (इकाइयों) का स्थान:

5. उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख:

6. संयंत्र की क्षमता (किलो लीटर):

7. उत्पादन का विवरण (किलो लीटर):

टिप्पण कृपया कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि पंजीकरण प्रमाणपत्र, आयात/निर्यात पंजीकरण प्रमाणपत्र, कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टीएएन)/स्थायी खाता संख्या (पैन)/वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)/मूल्य वर्धित कर (वैट)/आबकारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से स्थापना और प्रचालन के लिए स्वीकृति, कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डीआईएसएच) का अनुमोदन, संबंधित नगरपालिका प्राधिकरणों/ संयंत्र स्थान पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले वैधानिक निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमोदन, संबंधित नगर प्राधिकरण के मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन प्रमुख नियोक्ता के रूप में पंजीकरण/लाइसेंस और किसी भी क/ख/ग वर्ग के उत्पादों का भंडारण किए जाने के मामले में पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन से लाइसेंस।

8. बेस ऑयल और योजकों की अधिप्राप्ति के स्रोत और ब्यौरे:

9. प्रसंस्करण ब्यौरे:

10. भंडारण क्षमता

(क) कच्चे माल के लिए;

(ख) मध्यवर्ती उत्पादों के लिए;

(ग) तैयार उत्पादों के लिए।

11. एनएबीएल द्वारा प्रमाणित प्रयोगशाला के ब्यौरे:

टिप्पण: कृपया राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

12. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में स्नेहक तेल अथवा/और ग्रीज की औसत बिक्री मात्रा का क्षेत्र-वार विवरण (किलो लीटर)

(क) ऑटोमोटिव:

(ख) औद्योगिक:

(ग) कुल:

टिप्प्ण: कृपया सांविधिक लेखा परीक्षक से लगातार दस वर्षों की अवधि के लिए स्नेहक तेल/ग्रीज की बिक्री मात्रा विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र, ऊपर घोषित कुल मात्रा के क्षेत्र-वार विभाजन (ऑटोमोटिव और औद्योगिक) के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए लेखा परीक्षित वार्षिक विवरण और पिछले तीन वित्तीय वर्षों का माल और सेवा कर विवरण संलग्न करें।

13. आवेदक के स्वामित्व वाले ब्रांड (नामों) के ब्यौरे:

टिप्प्ण: कृपया ब्रांड नाम के पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।

14. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में भारत में मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम्स) को औसत बिक्री की मात्रा के ब्यौरे: (किलो लीटर):

टिप्पण: कृपया ओईएम और आवेदक के बीच हस्ताक्षरित करार की प्रति और प्रदाय की गई मात्रा के लिए ओईएम और आवेदक द्वारा जारी संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न करें। कृपया इस संबंध में वैधानिक लेखापरीक्षक प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

15. किसी भी प्राधिकारी द्वारा कंपनी के विरुद्ध आरंभ की गई किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा शास्ति अथवा दंडात्मक कार्यवाही के ब्यौरे:

16. कोई अतिरिक्त जानकारी:

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इस आवेदन के साथ संलग्न उपाबंधों और विवरणों के रूप में दी गई जानकारी सही, पूर्ण और सत्य कथित है और यदि यहां दिया गया कोई भी विवरण किसी भी समय गलत पाया जाता है, तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर …………

नाम ………………………………… ..

(बड़े अक्षरों में) …………..

स्थान………………………..

तारीख…………………………।

टिप्पण: आवेदन पत्र में किसी भी गलत विवरण देने अथवा महत्वपूर्ण ब्यौरों को छिपाने के मामले का किसी भी समय पता चलने पर कंपनी का आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

[फा. सं. एम-11011(13)/3/2021-वितरण-पीएनजी]

सुजाता शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी - मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 233 (अ), तारीख 20 मार्च, 1987 द्वारा प्रकाशित किया गया था और सा.का.नि. संख्यांक 770 (अ), तारीख 26 अक्टूबर, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 12th March, 2024

G.S.R. 176(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) This Order may be called the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987 (hereinafter referred to as the said Order), after clause 9, the following clause shall be inserted, namely: -

"9A. Application for inclusion under PART B of Schedule I.- (1) Any company other than those specified under PART A of Schedule I**,** carrying on the business of a processor and fulfilling the following criteria may make an application to the Central Government in Form 1-B for inclusion of its name in PART B of the said Schedule, namely: -

(i) minimum ten years of continuous experience in the field of manufacturing and sales of lubricating oil, or grease or both, under the same company name with its own brand name in India;

(ii) average sales volume of 50,000 Kilo Litres per year in the last three financial years, with minimum average sales volume of 10,000 Kilo Litres per year in the last three financial years each in automotive and industrial segment of lubricating oil or grease, or both;

(iii) having National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) accredited laboratory for testing/certification of lubricating oils and greases; and

(iv) an approved vendor for minimum two Original Equipment Manufacturers (OEMs) in India with the average sales volume of 2000 Kilo Litres per year in the last three financial years to the OEMs.

(2) On receipt of an application under sub-clause (1), the Central Government after making such enquiry as it considers necessary, shall cause the name of such company to be inserted under PART B of Schedule I or may refuse the same.".

3. In the said Order, in Schedule I,

(i) for the heading "Name of Oil Companies" and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:

"NAME OF OIL COMPANIES

PART A

S.No.	**Name of the Oil Company and Address**
(1)	(2)
1.	Indian Oil Corporation Ltd.,G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East), Bombay-400051
2.	Bharat Petroleum Corporation Ltd., Bharat Bhavan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, Bombay-400038
3.	Hindustan Petroleum Corporation Ltd., 17-Jamshedji Tata Road, Churchgate, Bombay-400020
4.	Balmer Lawrie and Company Ltd., 21, Netaji Subhash Marg, Calcutta-700001
5.	Castrol India Ltd. Technopolis Knowledge Park, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400093
6.	Tide Water Oil Co. (India) Ltd., 32, R Kamani Marg, Ballard Estate, Bombay-400038

7.	Chennai Petroleum Corporation Ltd., 536, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018

PART B

S.N.	**Name of the Oil Company and Address**
(1)	(2)
1.	-
2.	- .

Notes-

PART A specifies the name of the Oil Companies not included in the definition of 'processor' under Clause 2 (c). Whereas, PART B specifies the name of the Oil Companies applied under FORM NO. 1-B and inserted in the Schedule I under Clause 9A of the Order.";

(ii) after Form 1-A, the following Form shall be inserted, namely: -

"FORM NO. 1-B

[See Clause 9A of the Lubricating Oils and Greases (Processing, Supply and Distribution Regulation) Order, 1987]

APPLICATION FOR INCLUSION UNDER PART B OF SCHEDULE I

1. Name and full address of the applicant:

2. Name and address of the Directors:

3. Date and year of incorporation:

Note: Please attach the copy of Certificate of incorporation and Certificate of commencement of business issued by the Registrar of Companies.

4. Location of the Unit(s):

5. Date of commencement of production:

6. Capacity of the Plant(s) (Kilo Litres):

7. Details of production (Kilo Litres):

Note: Please attach the copy of Employee's State Insurance and Provident Fund Registration Certificate, Import/Export Registration Certificate, Tax Deduction and Collection Account Number (TAN)/Permanent Account Number (PAN)/Goods and Services Tax (GST)/ Value Added Tax (VAT)/Excise Registration Certificate, consent to establish and consent to operate from respective State Pollution Control Boards, approval of Directorate of Industrial Safety and Health (DISH) under the Factories Act, 1948, No Objection Certificate/approval from the respective Municipal Authorities/statutory bodies having jurisdiction over the Plant location, No Objection Certificate from Chief Fire Officer of respective Municipal Authority, Registration/Licence as principal employer under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and Licence from the Petroleum & Explosives Safety Organization in case any class A/B/C product is stored.

8. The sources and details of procurement of base oils and additives:

9. Process details:

10. Storage Capacity

    (a) for raw materials;

    (b) for intermediate products;

    (c) for finished products.

11. Details of the Laboratory certified by NABL:

Note: Please attach the copy of Certificate issued by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

12. Segment-wise details of average sales volume of lubricating oil or/and grease in the last three financial years (Kilo Litres)

(a) Automotive:

(b) Industrial:

(c) Total:

Note: Please attach certificate from statutory auditor specifying sales volume of lubricating oil/grease for a continuous period of ten years, certificate from statutory auditor for segment wise bifurcation (Automotive and Industrial) of total quantity as declared above, audited annual statement for the last three financial years and GST return for the last three financial years.

13. Details of Brand Name(s) owned by the applicant:

Note: Please attach the copy of Certificate of registration of brand name.

14. Details of average sales volume to Original Equipment Manufacturers (OEMs) in India in the last three financial years (Kilo Litres):

Note: Please attach the copy of agreement signed between OEM and the applicant and joint certificate issued by OEM and the applicant for quantity supplied. Please also attach the statutory auditor certificate in this regard.

15. Details of any disciplinary action or penalty or criminal proceeding initiated against the company by any authority:

16. Any additional information:

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect at any point of time, I shall be liable for action under the provisions of law.

Signature and seal of the authorised signatory …………

Name ………………………………… ..

(in Block letters) …………...

Place………………………..

Date………………………….

Note: In case of any misrepresentation or concealment of material details in the application form, detected at any point of time, the application of the entity is liable to be rejected.".

[F. No. M-11011(13)/3/2021-Distribution-PNG]

SUJATA SHARMA, Dy. Secy.

Note. - The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 233 (E), dated the 20th March, 1987 and last amended *vide* notification number G.S.R. 770 (E), dated the 26th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
RAVINDER KUMAR
Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2024.03.13 14:23:42 +05'30'